



2026:AHC:128872

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19316 सन् 2026

अनेक

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	धीरेन्द्र सिंह राजपूत, राजेन्द्र कुमार सौकर
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की मुकदमा अपराध संख्या 7/2026, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना बकेवर, जनपद इटावा में, जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह मृतक हरि ओम का साला है, जिसने अपनी पत्नी रोशनी के साथ वैवाहिक विवाद के कारण आत्महत्या कर ली थी। प्राथमिकी में एक सामान्य आरोप लगाया गया है। अभिकथित घटना दिनांक 23.10.2025 और 24.10.2025 की मध्यवर्ती रात्रि में घटित हुई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में तीन दिन के विलंब का अभियोजन पक्ष द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में कहीं भी यह अभिकथित नहीं है कि मृतक ने आवेदक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार या प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने मृतक को आत्महत्या करने हेतु उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया। सम्पूर्ण अभियोजन कहानी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतक द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व बनाए गए एक वीडियो के आधार पर गढ़ी गई है। उक्त वीडियो की प्रामाणिकता की जांच होना अभी शेष है। मृतक द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व बनाए गए वीडियो में आवेदक का नाम नहीं लिया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि आवेदक दिनांक 08.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा यह कथन किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी दलीलों, अभिकथनों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-अनेक को व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो प्रतिभूतियों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के अभाव में उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन, तथा (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून 2026

राधिका

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।